17. अवध राज्य की स्थापना

- **अवध के नबाव:** अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदल खाँ ने 1722 में की थी जो कि 1739 तक अवध के नबाव के पद पर प्रतिष्ठित रहा। इसने 1739 में भारत पर नादिरशाह के आक्रमण के समय उसे दिल्ली की ओर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। तथा उसे 20 करोड़ का लालच दिया लेकिन यह धन राशि न मिलने के कारण उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नादिरशाह भारत से शाहजहाँ का प्रिय सिंहासन तख्त-ए-ताऊस अथवा मयूर सिंहासन भी लेता गया। इस मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार था वेबादल खाँ शाहजहाँ के काल में आने वाला एक फ्रांसीसी पर्यटक टेवर्नियर था। जिसने इस मयूर सिंहासन की कीमत आँकी और विषद वर्णन किया है।
- अवध के नबावों का क्रम इस प्रकार है:

1. सआदत खान (1722-39)
2. उसका दामाद सफदरजंग (1739-54)
3. पुत्र शुजाउदौला (1754-75)
4. पुत्र आसफउदौला (1775-97)

   असफाउदौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांरित करके लखनऊ कर दी। इसी ने 1784 में लखनऊ का इमामवाड़ा बनवाया।
5. वजीर अली (1795-98)
6. सआदत अली खाँ (1798-14): इसने 1801 में वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया।
7. हैदरअली खाँ (1814-27)
8. अमजद अली खाँ (1842-217)
9. वाजिद अलीशाह (1847-56): 1856 में ब्रिटिश प्रेजीडेन्ट आउट्रम की रिर्पोट पर कुशासन का आरोप लगाकर लार्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। अवध के विलय को एक महान डकैती कहा गया। वाजिद अलीशाह को 12 लाख रूपये की वार्षिक पेंशन देकर उसे कलकत्ता निर्वासित कर दिया बाद में 1857 के समय वेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विरजिस कद को अवध का नबाव घोषित करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और बाद में भागकर नेपाल चले गये।

- क्लाइव के बाद बंगाल के गर्वनर के रूप में वेरेल्स्ट 1767-69 तत्पश्चात् कर्टियर (1769-72) की नियुक्ति हुई।

वारेन हेस्टिंग्स (1772-85): वारेन हेस्टिंग्स (1772-74) तक बंगाल का गर्वनर रहा।

- वारेन हेस्टिंग्स (1774-85) तक बंगाल का प्रथम गर्वनर जनरल रहा।
- वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में राजकीय कोष मुर्शिदावाद से कलकत्ता स्थानान्तिरत कर दिया।
- वारेन के समय ही रेगुल्टी एक्ट 1773 में पारित हुआ। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

1. इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का नियन्त्रण स्थापित करना था अब बंगाल के लिए नियुक्त गर्वनर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गर्वनर जनरल बना दिया। अर्थात् भारत में उपस्थित सभी ब्रिटिश प्रेसीडेसियों में बंगाल प्रेसीडेन्सी को सर्वोच्यता की स्थित प्रदान कर दी। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गर्वनर जनरल नियुक्त किया।
2. गर्वनर जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की एक परिषद् (Council) बनायी जिसमें विचाराधीन मामलों में बहुमत से निर्णय लिए जाने की व्यवस्था थी। मतों की बराबरी के अवसर पर गर्वनर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था।
3. गर्वनर जनरल की परिषद के चार सदस्यों के नाम इस प्रकार है।
   (i) वारवैल
   (ii) फ्रासिस
   (iii) क्लेवरिंग
   (iv) माँनसन

   परन्तु क्लेवरिंग की आसामयक मृत्यु हो गयी। अत: इस पद पद एडवर्ड व्हीलर की नियुक्ती हुई।

- 1774 में इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके प्रथम न्यायाधीश के रूप में एलिजाह इम्पे की नियुक्त हुई। इस कोर्ट के तहत बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे।
- गर्वनर जनरल और उसकी क्राउसिल भारत के लिए कानून बना सकती थी। तथा गर्वनर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। परन्तु इन्हें लागू करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट की

स्वीकृत आवश्यक थी।

- इस एक्ट के तहत ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को खत्म कर दिया गया।
- वारेन के काल में 1777 में भारत की प्रथम सेना "द फर्स्ट ब्राह्मन" पैदल सेना का गठन किया। यह भारत की प्रथम भारतीय अंग्रेजी सेना थी।
- वारेन के प्रोत्साहन पर 1784 में विलयम जॉन्स ने एशियायी सुसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय इतिहास, पुरात्तविक कला एवं साहित्य का अध्ययन करना था।
- चार्ल्स विल्किन्सन ने श्री मदभगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सन् 1785 में किया। वारेन हेस्टिंग्स ने केवल भूमिका (प्रस्तावना) लिखी।
- भारतीय न्यायशास्त की प्राचीनतम पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद N.C. हेलहेक ने "A code of Gento laws" के नाम से किया।
- अभिज्ञान शाकुन्तलम एवं गीत गोविन्द (जयदेव) का अंग्रेजी अनुवाद विलयम जॉन्स ने किया।
- 1778 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जहाँ मुसलिम विषयों से संबंधित विषयों एवं कानूनों की शिक्षा दी जाती थी।
- वारेन हेस्टिंग्स के बाद क्रमश: बंगाल के गर्वनर जनरल हुए।

1. लार्ड वेल्जली (1798-1805)
2. पुन: (1805) कॉर्नवालिस की नियुक्ती और मृत्यु
3. सर जॉर्ज वारलो (1805-1807)
4. लॉर्ड मिन्टो (1807-1823)
5. लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823)

चार्टर एक्ट (1813): इस चार्टर एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। परन्तु ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा अफीम के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इस प्रकार सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने की छूट मिल गयी।

2. इसाई मिश नरियों को भारत में धर्म प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गयी।
3. भारतीय शिक्षा में सुधार एवं उसके विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी।

चार्टर एक्ट, 1833:

1. ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णत: समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत का शासन करना ही रह गया। वस्तुत: यह परिवर्तन बहुत कुछ अनिवार्य भी हो गये थे। क्योंकि लार्ड वेल्जली एवं लार्ड हेस्टिंग्स की विस्तारवादी नीति तथा ब्रिटिश शक्ति को भारत में सर्वोच्चता दिलाने की नीति के कारण कंपनी के राज्य क्षेत्र तथा प्रशासनिक कार्यभारत बहुत बढ़ गये थे।
2. 1833 के अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और बंगाल के गर्वनर जनरल को भारत के गर्वनर जनरल की उपाधि दी।
3. पहली बार 1833 के अधिनियम के तहत गर्वनर जनरल की सरकार भारत की सरकार कहलायी और उसकी परिषद् "भारतीय परिषद्" परिषद सहित गर्वनर जनरल को समूचे ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब इन कानूनों को किसी न्यायालय में पंजीकृत करवाने अथवा सुप्रीम कोर्ट से उसकी अज्ञा लेने की जरूरत नहीं रह गयी।
4. 1833 के चार्टर एक्ट से गर्वनर जनरल की परिषद् के सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार कर दी गयी। चौथा सदस्य विधि सदस्य (Lower member) कहा गया। लॉ मेयर के रूप में सर्वप्रथम मैकाले की नियुक्त हुई।

- रेगुलेटिक एक्ट (1773) के अनुसार गर्वनर जनरल के सदस्यों की संख्या चार थी-
  - (i) क्लेरिग
  - (ii) वॉरवेल
  - (iii) फ्रांसिस
  - (iv) मॉनसन।

  पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इन सदस्यों की संख्या घटाकर तीन कर दी गयी। तथा पुन: 1833 के एक्ट से बढ़ाकर चार कर दी गयी।

5. मैकाले की अध्यक्षता में भारत के प्रथम विधि आयोग (**Indian Law Comision**) का गठन हुआ। आयोग ने उस समय भारत में प्रचलित विभिन्न विधियों के यथा संभव संहिताकरण का वर्ग संभाला।
6. 1833 के अधिनियम में सर्वप्रथम कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जन्म जाति, वर्ग, धर्म अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी पद अथवा सेवा से वंचित नहीं किया जायेगा। अर्थात् किसी भी व्यक्ति की योग्यता ही उसकी नियुक्ति का प्रथम आधार होगी। अब भारतीयों को भी राजकीय सेवाओं में यथोचित पद मिलने की आशा बधी।

परन्तु इस अधिनियम की तात्कालिक प्रगति शून्य रही।

(i) वारेन हेस्टिंग्स के बाद बंगाल के गर्वनर के रूप में जॉन मैकफर्सन की नियुक्ति हुई (1785-86) उसका उत्तराधिकारी लॉर्ड कार्न वालिस हुआ।

लॉर्ड कार्नवालिस (1786-93) : लॉर्ड कार्नवालिस अपने स्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है।

स्थाई बंदोबस्त

स्थाई बंदोबस्त का सर्वप्रथम सुझाव फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। वस्तुत फ्रांसिस के सुधारों को लागू करने के लिए कार्नवालिस ने तीन लोगों की समिति बनाई।

1. सर जॉन शोर (राजस्व बोर्ड का प्रधान अधिकारी था।)
2. जेम्स ग्रांट (रिकॉर्ड कीपर था)
3. तीसरा सदस्य स्वयं कार्नवालिस था।

वस्तुत: जेम्स ग्रांट स्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में जमींदारों को भू-स्वामित्व सोपने का पक्षधर नहीं था। लेकिन कार्नवालिस ने भू-स्वामित्व जमीदारों को सोंप दिया।

कार्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में 1790-91 को आधार वर्ष मानकर कम्पनी की आय 2 करोड़ 68 लाख रूपये प्रति वर्ष निर्धारित कर दी।

1790 में स्थाई बंदोबस्द के केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। परंतु 1793 में इंग्लैण्ड से अनुमति प्रदान हो जाने के बाद उसे पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया और यह व्यवस्था 1790 से आजादी के बाद 1954 तक लागू रही।

स्थाई बंदोबस्द बिहार, उड़ीसा बंगाल में ही लागू रहा। अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य की केवल 19% भूमि पर ही लागू रहा।

स्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में जमींदार किसानों से लगान वसूल के उसका 10/11 भाग (कहीं-कहीं 8/9 भाग) ईस्ट इंडिया कम्पनी को जमा करेगा तथा जमीदार को कुल वसूले गये लगान का 1/11 भाग (कहीं-कहीं 1/9 भाग) उसे कमीशन के रूप में मिलेगा। इस व्यवस्था से उपरी वर्ग में सामंत वाद पनपा और कृषक वर्ग (निचला वर्ग) में दास्ता पनपी क्योंकि ईस्ट इंडिया कम्पनी का इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं था कि जमींदार किसानों से कितनी वसूली करता है और जमींदारों ने किसानों से अधिकाधिक वसूली का प्रयास किया। इस प्रकार स्थाई बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारो को हुआ। इतिहासकार 'होम्स' ने लिखा स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था एक दुखद भूल थी।

भारतीय सिविल सेवा

भारत में सिवल सेवा का जन्मदाता लार्ड कार्नवालिस को जाना जाता है उसने भारितीय सिविल सेवा (ICS) के नाम से एक प्रशासनिक सेवा संवर्ग का गठन किया। आरम्भ में इस सेवा के लिए किसी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था।

- भारतीय सिविल सेवा के लिए परीक्षा का आयोजन 1853 में डलहौजी के समय ब्रिट्रेन में किया गया।
- 1923 में पहली बार भारतीय सिविलसेवा परीक्षा का आयोजन पहली बार भारत में किया।
- प्रारम्भ में इस परीक्षा की अधिकतम उम्र 23 वर्ष थी लार्ड लिटन ने (1876-80) इसे 1876 में घटाकर 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया।
- भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय 1863 में सत्येन्द्र नाथ टैगोर थे। (सत्येन्द्र नाथ के पिता का नाम देवेन्द्र नाथ टैगोर था तथा सत्येन्द्र के छोटे भाई रवीन्द्र नाथ टैगोर थे)
- सुरेन्द्र नाथ बनर्जी थे जिन्हें जाति भेदभाव के चलते इस सेवा से बर्खास्त कर दिया।
- अरविन्द्र घोष घुड़सवारी की परीक्षा असफल होने के बाद परीक्षा से बाहर हो गये।
- सुभाष चन्द्र बोस ने 1920 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बावजूद भी इस्तीफा दे दिया था।
- भारतीय सिविल सेवको के प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम 1800 में लार्ड वेल्जली ने कलकत्ता में फोट्र विलियम कॉलेज की स्थापना की। किंतु जल्दी ही 1802 में इस कॉलेज को बंद कर दिया और भारतीय सिविल सेवकों का प्रशिक्षण ब्रिटेन के हेलवरी कॉलेज में दिया जाने लगा।
- वर्तमान में भारतीय सिविल सेवकों का प्रशिक्षण मंसूरी में दिया जाता है।
- कार्नवालिस के बाद बंगाल के गर्वनर के रूप में सर जॉन शोर की नियुक्ति हुई। (1793-98) तक।
- 21 अप्रैल को सिविल सिर्विस डे मनाया जाता है।

लॉर्ड वेल्जली (1798-1805)

लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सहायक संधि के संबंध में विवरण इस प्रकार है-

वस्तुत: सहायक संधि का जनक डूप्ले था वेल्जली ने सहायक संधि को मात्र स्पष्ट तौर परिभाषित किया। 'अल्फ्रेड़ लॉयल' के अनुसार सहायक संधि के चार चरण थे।

1. सहायक सेना किराये पर देना।
2. अपने मित्रों की सहायतार्थ युद्धों में भाग लेना।
3. मित्रों की रक्षा का भार स्वयं उठा लेना।
4. भारतीय राज्यों में सहायक सेना रख देना।

- सहायक संधि की शर्तें निम्न थी।
- ब्रिटिश रेजीडेन्ट भारतीय दरबार में मौजूद रहेगा।
- संबंधित राज्य की विदेश नीति पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का नियंत्रण होगा।
- संबंधित राज्य में यूरोपीय अधिकारियों की नियुक्त में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अनुमत आवश्यक होगी।
- संबंधित राज्य की रक्षा का भार ईस्ट इंण्डिया कंपनी के कंधों पर होगा।-
  सेना का खर्च संबंधित राज्य को ही करना होगा।
- ईस्ट इंडिया कम्पनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
- सहायक संधि का महत्व इस बात में था कि अंग्रेजों की सामाजिक सीमा उनकी राजनीतिक सीमा से कही आगे बढ़ गई। इसका दूरगामी लाभ यह हुआ कि युद्धों को कम्पनी के अधिकार क्षेत्र काफी दूर रखा जा सका।
- सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य-

1. सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद निजाम
2. 1799 में मैसूर
3. 1801 में पेशवा
4. बरार के भोंसले 1803
5. ग्वालियर के सिंधीया 1804 आदि।

EduBull.com